भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (एक मिनी रत्न कंपनी) (कोल इंडिया लिमिटेड का एक अंग) कोयला भवन, कोयला नगर धनबाद-826005 वेबसाइट: www.bccl.gov.in CIN: U10101JHI972G01000918		BHARAT COKING COAL LIMITED (A Mini Ratna Company) (A Subsidiary of Coal India Limited) KOYLA BHAWAN, KOYLA NAGAR DHANBAD-826005 Website: www.bccl.gov.in CIN: U10101JHI972G01000918

विज्ञापन सूचना नं. 1140/2016

केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए

माइनिंग सरदार (सांविधिक खनन पर्यवेक्षण कार्मिक) के लिए ''प्रशिक्षु'' तैयार करने हेतु प्रशिक्षण योजना के तहत आवेदन पत्र।

1. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, एक मिनी रत्न एवं कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में रहने वाले योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पुरूष अभ्यर्थियों को उन्हें सक्षम प्राधिकारी से माइनिंग सरदारी योग्यता प्रमाण पत्र सहित गैस टेस्टिंग तथा प्राथमिक उपचार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाने के लिए चार वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने के उपरांत अभ्यर्थीगण कोयला खानों में माइनिंग सरदार के रूप में कार्य करने के योग्य हो जाएंगे। सफल अभ्यथियों के पास कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों में माइनिंग सरदार की रिक्तियां होने पर नियुक्ति पाने का सुनहरा अवसर होगा। यद्यपि, उपर्युक्त क्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर यह प्राधिकार नियोजन की गारंटी नहीं देता है। ये नियुक्तियां केवल रिक्तयों पर ही आधारित होंगी।

2. **चयन किये जाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या**:

अनुसूचित जाति	अ.ज.जाति	कुल
10	10	20

3. पात्रता मानदंड:

क. कटेगरी: अभ्यर्थी का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से होना अनिवार्य है।

ख. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: अभ्यर्थो को आवेदन देते समय किसी बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से सीनियर सेकण्डरी स्कूल अथवा इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

ग. आयु तथा मेडिकल फिटनेस: 10 फरवरी 2016 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 (अठ्ठारह) वर्ष और अधिकतम 23 (तेईस) वर्ष होनी चाहिए।

घ. मेडिकल फिटनेस: कंपनी के मेडिकल बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के मेडिकल फिटनेस की घोषणा के बाद ही उनका अंतिम चयन किया जाएगा।

4. **प्रशिक्षण की अवधि:**

04(चार वर्ष)के इस प्रशिक्षण में सैधांतिक/क्लास रूम सहित प्रायोगिक प्रशिक्षण भी शामिल होगा।

5. प्रशिक्षण का स्थान:

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशिक्षण के लिए स्थान का निर्णय सही समय पर किया जाएगा।

6. प्रशिक्षण खर्च एवं मासिक भत्ता

क. बीसीसीएल द्वारा निम्नलिखित के साथ-साथ प्रशिक्षण के लिए होने वाले सभी प्रकार के खर्च का वहन किया जाएगा।

I. आवासीय व्यवस्था

II. भोजन

III. पढ़ने/अध्ययन की सामग्री

IV. पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए यात्रा खर्च

ख. प्रशिक्षण अवधि के दौरान जेब खर्च के लिए 'प्रशिक्षुओं' को 'मासिक भत्ता''निम्नलिखित दर से दिया जाएगा:

I	प्रथम वर्ष के दौरान	1000/- प्रतिमाह
II	द्वितीय वर्ष के दौरान	1250/- प्रतिमाह
III	तृतीय वर्ष के दौरान	1500/- प्रतिमाह
IV	अंतिम चतुर्थ वर्ष में	1750/ प्रतिमाह

''मासिक भत्ता''के भुगतान को उपस्थिति से जोड़ा जाएगा अर्थात यह यथानुपात होगा। यद्यपि,''मासिक भत्ता'' प्रशिक्षु के कार्य और आचरण संतोषजनक पाये जाने पर ही देय होगा। ''मासिक भत्ता'' के भुगतान के लिए उस खास माह में कार्य दिवस का न्यूनतम 70% प्रत्यक्ष उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रशिक्षु निदेशानुसार अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।

7. अवकाश

(क) आकस्मिक अवकाश:

I. वर्ष में अधिकतम सात दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकार्य होगा।

II. आकस्मिक अवकाश के दौरान पड़ने वाली छुट्टीयों को सात दिनों की सीमा के उद्देश्य के लिए गिना नहीं जाएगा।

III. किसी वर्ष के दौरान आकस्मिक अवकाश नहीं लेने पर वर्ष के अंत में यह स्वत: समाप्त हो जाएगा।

IV. आकस्मिक अवकाश को चिकित्सा अवकाश (Medical Leaves)में नहीं जोड़ा जाएगा। यदि आकसिमक अवकाश के पहले या बाद में चिकित्सा अवकाश लिया जाता है तो ली गई पूरी छुट्टी या तो चिकित्सा अवकाश माना जाएगा या फिर आकस्मिक अवकाश माना जाएगा वशर्ते कि यह चिकित्सा अवकाश या आकस्मिक अवकाश, जो भी हो निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक नहीं हो।

V. अपरिहार्य अनिवार्यता को छोड़कर, उक्त अवकाश का लाभ लेने से पहले इसे प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी को आवेदन देकर मंजूर कराना होगा।

ख. चिकित्सा अवकाश-

I. बिमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सकने की स्थिति में प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के प्रत्येक वर्ष के लिए बारह दिनों तक की चिकित्सा अवकाश की मंजूरी दी जाएगी। अप्रयुक्त चिकित्सा अवकाश को प्रशिक्षण के अगले वर्ष के चिकित्सा अवकाश के साथ जोड़ दिया जाएगा।

II. चिकित्सा अवकाश के दौरान कोई घोषित अवकाश(हॉलिडे)पड़ने पर उसे चिकित्सा अवकाश माना जाएगा तथा अनुच्छेद उपर्युक्त (i) मैं निर्धारित सीमा के तहत गिना जाएगा।

III. दो दिनों से अधिक चिकित्सा अवकाश लेने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

IV. प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी को यदि ऐसा लगे कि प्रशिक्षु वास्तव में बिमार नहीं था अथवा बिमारी वैसी प्रकृति की नहीं थी कि वह उपस्थित नहीं हो सके तो वैसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षु की विशेष मेडिकल जांच कराने का अधिकार होगा।

(ग)**वेतनरहित विशेष अवकाश**:

किसी प्रशिक्षु के सभी आकस्मिक अवकाश एवं चिकित्सा अवकास समाप्त हो जाने की स्थिति में उसे वर्ष में अधिकतम दस दिनों तक वेतनरहित विशेष अवकाश की मंजूरी दी जा सकती है, वशर्ते की नियंत्रण पदाधिकारी आवेदक द्वारा इस हेतु बताए गए कारण की वस्तविकता से संतुष्ट हों।

8. चयन का माध्यम

बीसीसीएल द्वारा प्रशिक्षुओं का चयन (10 अनुसूचित जाति एवं 10 अनुसूचित जनजाति) सीनियर सेकण्डरी स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष परीक्षा तथा लिखित जांच में प्राप्त किये गए अंक(प्रतिशत) के आधार पर किया जाएगा। यद्यपि, खान अधिनियम एवं खान नियमावली, 1955 के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के मेडिकल बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के मेडिकल फिटनेस की शर्त पर ही अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। प्रशिक्षण केन्द्र में अभ्यर्थी को नामित करने के पहले ही चिकित्सकीय जांच की जाएगी।

9. अनुबंध पत्र (Bond):

क. प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पहले, प्रशिक्षुओं को चार वर्षीय प्रशिक्षण के साथ-साथ कंपनी यानी बीसीसीएल में नियमित नियुक्ति के बाद न्यूनतम पांच वर्षों तक सेवा जारी रखने हेतु एक अनुबंध पत्र(Bond) देना होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अभ्यर्थी (प्रशिक्षु) को उनके प्रशिक्षण पर हुए खर्च अधिकतम 200000/-(दो लाख रुपये) लौटाना होगा।

10. प्रशिक्षण के बाद नियोजन

क. प्रशिक्षण अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने एवं संगत सांविधिक प्रमाण-पत्र यानी सक्षम प्राधिकारी से माइनिंग सरदारी, प्राथमिक उपचार एवं गैस टेस्टिंग का वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को उपलब्ध रिक्तयों के लिए तक. व पर्य. श्रेणी 'सी' में माइनिंग सरदार के रूप में नियमित नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार से नियुक्त व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी के निर्णायानुसार कंपनी के किसी भी खान/इकाई में पदस्थापित किया जाएगा।

ख. चार वर्षो की प्रशिक्षण अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी से माइनिंग सरदारी, प्राथमिक उपचार एवं गैस टेस्टिंग का वैध सांविधिक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में असफल होने की स्थिति में प्रशिक्षु के नियोजन दावे को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे प्रशिक्षुओं को नियोजन देने के लिए कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी।

11. आवेदन कैसे करें:

अभ्यर्भियों को अपना आवेदन संलग्न विहित प्रपत्रमें भर कर करना होगा और इसे बिंदु सं.12 में उल्लिखित निम्नलिखित दस्तावेजों के **स्व अभिप्रमाणित** प्रतियों के साथ केवल स्पीड पोस्ट से भेजना है ताकि यह **उप महाप्रबंधक(का./नियुक्ति) के भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद, झारखंड- 826005** स्थित कार्यालय में **10.02.2016 को 5.00 बजे अपराह्न** तक पहुंच जाय। लिफाफे पर **''माइनिंग सरदारी के प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र'** सुस्पष्ट लिखा होना चाहिए। 10.02.2016 के बाद प्राप्त या अपूर्ण आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।

बीसीसीएल के कार्यालयीन वेबसाइट यानी www.bccl.gov.in से विहित फार्मेट को डाउनलोड किया जा सकता है।

12. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज:

I. मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा निर्गत हाई स्कूल फाइनल (कक्षा-X) उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

II. हाई स्कूल फाइनल(कक्षा-X) के अंक पत्र की छायाप्रति।

III. मान्याताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से सीनियर सेकण्डरी स्कूल/इंटरमिडिएट अथवा इसके समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

IV. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से सीनियर सेकण्डरी स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र की छायाप्रति।

V. निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा जारी अ.ज./अ.ज.जा प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

क. जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/ समाहर्त्ता/उपायुक्त/उप-समाहर्त्ता/प्रथमश्रेणीवृत्तिभोगी (स्टाइपेंडरी)अधिकारी/ अनुमंडलपदाधिकारी/ तालुका अधिकारी/ कार्यपालकदंडाधिकारी/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

ख. मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसिंडेंसीमजिस्ट्रेट/ प्रेसिंडेंसीमजिस्ट्रेट ।

ग. राजस्व अधिकारी- (जो तहसीलदार से नीचे स्तर का अधिकारी नहीं हो)।

घ. उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी, जिस क्षेत्र में आवेदक/ आवेदक का परिवार समान्यतः निवासकर रहे हों।

ङ. प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास पदाधिकारी(लक्ष्यद्वीप आइलैंड)

VI. विहित फार्मेट के अनुसार संबंधित परियोजना पदाधिकरी द्वारा निर्गत परियोजना प्रभावित व्यक्ति (PAP) के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

VII. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

VIII. पासपोर्ट/आधार कार्ड/पैनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पिछले संस्थान, जहां अध्ययन किया है, से प्राप्त पहचान पत्र की छायाप्रति।

IX. हाल का खींचे गये पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो की पांच प्रतियां, जिसपर अभ्यर्थी का नाम मुद्रित हो।

टिप्पणी: आवेदक को सभी दस्तावेज की छायाप्रतियों को स्थान व तिथि के साथ अपने पूरे हस्ताक्षर से स्व अभिप्रभाणित करना है।

13. यदि अभ्यर्थी परियोजना प्रभावित व्यक्ति (PAPs) हैं और सभी कसौटियों को पूरा करते हैं, तो उनको चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

14. अभ्यर्थियों से बीसीसीएल के वेबसाइटwww.bccl.gov.inपर जाकर अद्‌यतन सूचना प्राप्त करने का अनुरोध किया जाता है। इसके जरिए लिखित परीक्षा आदि से संबंधित सूचनाएं दी जाएगी।

15. अंगरेजी या हिंदी भाषा में दिये गए इस विज्ञापन में यदि कोई अंतर हो तो अंग्रेजी भाषा में निकाले गए विज्ञापन को ही प्रमाणिक माना जाएगा।

****